

# गोमती एन्क्लेव

सेक्टर-8,  
अवध विहार योजना, लखनऊ



# गोमती एक्वलेव



**Arial View**

# 1 BHK (Type-A)

**UNIT PLAN**



**CARPET AREA- 26.61 SQ.MT.  
SUPER BUILT UP AREA- 40.64 SQ.MT.**

**ISOMETRIC VIEW**



**SUPER BUILT UP AREA  
(8 UNITS)- 325.13 SQ.MT.**



**CLUSTER PLAN**

# 1 BHK (Type-B)

**UNIT PLAN**



**CARPET AREA- 37.65 SQ.MT.  
SUPER BUILT UP AREA- 54.21 SQ.MT.**

**ISOMETRIC VIEW**



**SUPER BUILT UP AREA  
(8 UNITS)- 433.69 SQ.MT.**



**CLUSTER PLAN**

# 2 BHK (Type-A)

**UNIT PLAN**



**CARPET AREA- 59.11 SQ.MT.  
SUPER BUILT UP AREA- 77.09 SQ.MT.**



**ISOMETRIC VIEW**

**SUPER BUILT UP AREA  
(8 UNITS)- 616.77 SQ.MT.**



**CLUSTER PLAN**

# बसेरा-2


## L.I.G. UNIT PLAN

DRG. ROOM, BED ROOM, KITCHEN, W.C., 1 BATH, VERANDA/BALCONY  
 BUILTUP AREA = 43.47 SQ.M. (467.73 SQ.FT.)  
 SUPER AREA = 47.97 SQ.M. (516.15 SQ.FT.)



# बसेरा-2

## L.I.G. HOUSES



## उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

### उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं से वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाट्री द्वारा किया जायेगा।

## परियोजना का विवरण

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-8 में अफोडेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत, "समाजवादी आवास योजना-2016" के अधीन "गोमती एन्क्लेव" के नाम से बहुमंजिली आवासीय परियोजना में 1BHK एवं 2BHK के कुल 536 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। फ्लैटों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित फ्लैट्स का विवरण निम्नवत है :

### 1. गोमती एन्क्लेव के फ्लैट्स का विवरण

| क्र.सं. | फ्लैट का प्रकार | फ्लैट्स की संख्या | सुपर एरिया प्रति फ्लैट (वर्ग मी. में) | कार्पेट क्षेत्र (वर्ग मी. में) | प्राविधान  |
|---------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.      | 1 BHK (Type-A)  | 392               | 40.64                                 | 26.61                          | 1 लिविंग रूम, 1 बेड रूम, 1 बाथ, 1 डब्ल्यू.सी., 1 बालकनी, 1 किचेन।              |
| 2.      | 1 BHK (Type-B)  | 17                | 54.21                                 | 37.65                          | 1 लिविंग रूम, 1 बेड रूम, 1 बाथ, 1 डब्ल्यू.सी., 2 बालकनी, 1 किचेन।              |
| 3.      | 2 BHK (Type-A)  | 127               | 77.09                                 | 59.11                          | 1 ड्राइंग/डाइनिंग रूम, 2 बेड रूम, 1 ट्वायलेट, 1 डब्ल्यू.सी. 3 बालकनी, 1 किचेन। |

**नोट:** पंजीकरण धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के नाम जो लखनऊ शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।

## उपलब्ध फ्लैटों का विवरण

भुगतान का विकल्प- 'अ'  
अनुमानित मूल्य का एक मुश्त भुगतान, पत्र निर्गत तिथि से 30 दिन के अन्दर करने पर 02 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी

### भुगतान का विकल्प - ब

| क्र.सं. | श्रेणी         | मूल्य (लाख में) | पंजीकरण धनराशि (5 प्रतिशत) | तीस दिन के अन्दर देय धनराशि | अवशेष 11 तिमाही किश्तों में |
|---------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.      | 1 BHK (Type-A) | 12.71           | 0.65                       | 1.28                        | 0.98                        |
| 2.      | 1 BHK (Type-B) | 16.96           | 0.85                       | 1.70                        | 1.31                        |
| 3.      | 2BHK (Type-A)  | 24.11           | 1.21                       | 2.44                        | 1.86                        |

### भुगतान का विकल्प - स

| क्र.सं. | फ्लैट्स का प्रकार | फ्लैट्स की संख्या | अनुमानित विक्रय मूल्य (रु. लाख में) | पंजीकरण धनराशि (रु. हजार में) 2 प्रतिशत | चयन के पश्चात 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु. हजार में) 5 प्रतिशत | चयन के उपरान्त आगामी माह से 36 मासिक किश्त (रु. हजार में) | फ्लैट्स का प्रदेशन पत्र जारी करने/भौतिक कब्जे के समय देय धनराशि (रु. हजार में) 15 प्रतिशत | 36 मासिक किश्तों के उपरान्त अवशेष 84 मासिक किश्तें (रु. हजार में) 10.5 एवं 11.5 प्रतिशत ब्याज की दर से |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 1.      | 1BHK Type-A       | 392               | 12.71                               | 25420.00                                | 63550.00  | 11600.00  | 190650.00   | 12700.00   |
| 2.      | 1BHK Type-B       | 17                | 16.96                               | 33920.00                                | 84800.00  | 15800.00  | 254400.00   | 16900.00   |
| 3.      | 2BHK Type-A       | 127               | 24.11                               | 48220.00                                | 120550.00   | 22350.00  | 361650.00   | 24000.00   |

### बसेरा-II प्रस्तावित एल.आई.जी. बहुस्वण्डीय (G+3) भवनों का अनुमानित विवरण (अवध विहार) (भुगतान का विकल्प - ब)

| क्र.सं. | श्रेणी             | कुल फ्लैट | सुपर एरिया (वर्ग मी.) | निर्मित एरिया (वर्ग मी.) | मूल्य | पंजीकरण धनराशि | तीस दिन के अन्दर देय धनराशि | अवशेष 11 तिमाही किश्तों में |
|---------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.      | अल्प आय वर्ग (G+3) | 288       | 47.38                 | 43.18                    | 16.75 | 0.84           | 1.72                        | 1.29                        |
|         |                    |           | 47.38                 | 43.18                    | 13.85 | 0.70           | 1.38                        | 1.07                        |
|         |                    |           | 47.38                 | 43.18                    | 13.55 | 0.68           | 1.43                        | 1.04                        |
|         |                    |           | 47.38                 | 43.18                    | 13.20 | 0.66           | 1.32                        | 1.02                        |

### समाजवादी आवास योजना-2015 के अन्तर्गत बसेरा-2 सेक्टर-7-ए, अल्प आय वर्ग (G+3) अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ (भुगतान का विकल्प - स)

| क्र.सं. | फ्लैट्स का प्रकार                   | मंजिले | फ्लैट्स की संख्या | तल         | सुपरएरिया एरिया (वर्ग मी.) | निर्मित एरिया (वर्ग मी.) | अनुमानित विक्रय मूल्य (रु. लाख में) | पंजीकरण धनराशि (रु. हजार में) 2 प्रतिशत | चयन के पश्चात 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु. हजार में) 5 प्रतिशत | चयन के उपरान्त आगामी माह से 36 मासिक किश्त (रु. हजार में) | फ्लैट्स का प्रदेशन पत्र जारी करने/भौतिक कब्जे के समय देय धनराशि (रु. हजार में) 15 प्रतिशत | 36 मासिक किश्तों के उपरान्त अवशेष 84 मासिक किश्तें (रु. हजार में) 10.5 एवं 11.5 प्रतिशत ब्याज की दर से |
|---------|-------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 1.      | अल्प आय वर्ग (जी+3) अवध विहार योजना | (G+3)  | 288               | भूतल       | 47.38                      | 43.18                    | 16.75                               | 33500                                   | 83750   | 13100   | 251250  | 17365  |
|         |                                     |        |                   | प्रथम तल   | 47.38                      | 43.18                    | 13.85                               | 27700                                   | 69250   | 8500  | 207750  | 15900  |
|         |                                     |        |                   | द्वितीय तल | 47.38                      | 43.18                    | 13.55                               | 27100                                   | 67750   | 7950  | 203250  | 15750  |
|         |                                     |        |                   | तृतीय तल   | 47.38                      | 43.18                    | 13.20                               | 26400                                   | 66000   | 7450  | 198000  | 15550  |



## भवनों की विशिष्टियां

उपरोक्त प्रकार के भवनों में निर्धारित की गयी मुख्य विशिष्टियों का विवरण –

| विशिष्टियों का विवरण         | समाजवादी आवासीय योजना –2016  |
|------------------------------|--|
| फ्लैट्स के निर्माण की पद्धति | फ्रेम स्ट्रक्चर/शियरवाल पद्धति   |
| फर्श                         |  |
| कमरे                         | सेरेमिक टाइल   |
| किचन                         | फर्श में ऐन्टी स्किड सेरेमिक टाइल, कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रीन मार्बल, दीवारों पर कुकिंग प्लेटफार्म से 0.60 मी. ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल।            |
| ट्वायलेट/बाथरूम              | फर्श में ऐन्टी स्किड सेरेमिक एवं दीवारों पर 1.50 मी. ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स।  |
| डब्लू.सी.                    | फर्श में ऐन्टी स्किड सेरेमिक एवं दीवारों पर 0.60 मी. ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स।  |
| कामन एरिया                   | सेरेमिक टाइल   |
| स्टेयर केस                   | कोटा स्टोन फ्लोरिंग  |
| डोर फ्रेम                    | बाहरी दरवाजे—एम.एस. एंगल आयरन (डबल पताम) व शेष एम.एस. एंगल आयरन (सिंगल पताम)।  |
| विन्डो फ्रेम व विन्डो शटर    | एनोडाइज्ड एल्युमिनियम विन्डो फ्रेम एवं शटर विद प्लेन ग्लास।  |
| डोर शटर                      | फ्लश डोर शटर   |
| डोर एवं विन्डो फिटिंग्स      | आई.एस.आई. मार्क एल्युमिनियम फिटिंग्स।  |
| आन्तरिक जलापूर्ति            | यू.पी.वी.सी. पाइप, सी.पी. फिटिंग्स, किचन में स्टेनलेस स्टील सिंक   |
| आन्तरिक सेनेटरी कार्य        | प्रथम ट्वायलेट में उड़ीसा पैन (लो लेवल पी.वी.सी. सिस्टर्न के साथ), द्वितीय ट्वायलेट की दशा में यूरोपियन शीट (लो लेवल पी.वी.सी. सिस्टर्न के साथ)। |
| विद्युत कार्य                | आई.एस.आई. मार्क अग्निरोधक कॉपर वायरिंग पियानो टाइप स्विच एवं फ्लश टाइप साकेट के साथ।   |
| फिनिशिंग                     | बाहरी सतह पर वेदर कोट फिनिश, आन्तरिक सतह पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर, दरवाजों पर एनामिल पेन्ट।  |

## प्राविधान/शर्तें:

- उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। उक्त निर्माण 36 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अंतिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किशतों की धनराशि घट-बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में विभिन्न कारणों यथा – भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने आदि पर पूर्व निर्धारित मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।
- भवनों की टाइप डिजाइन व ले आउट में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल के आवंटियों को लोकेशन चार्ज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा।
- आवंटियों को प्रति पार्किंग बेसमेंट पार्किंग रु0 1.75 लाख, कवर्ड स्टिल्ट कार पार्किंग रु. 2.00 लाख एवं ओपन कार पार्किंग रु. 1.00 लाख अतिरिक्त देना होगा। पार्किंग का आवंटन लाट्री पद्धति से किया जायेगा। अतिरिक्त पार्किंग की सुविधा उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त निर्धारित मूल्यों पर देय होगी।
- फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कॉर्पस फण्ड" में फ्लैट के विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत भौतिक कब्जा से पूर्व देय होगी। इन्चलेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से दो वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कॉर्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति को अनुरक्षण अपने स्रोतों से करना होगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- परिसर का रखरखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है उसके उपरांत "रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी" द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट आपरेशन, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देखरेख, सफाई, विद्युत बिल आदि के रखरखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट आवंटी को कब्जा प्राप्त तिथि से दो वर्ष तक रु. 1.00 प्रति वर्ग फिट (सुपर एरिया) की दर से रखरखाव शुल्क अतिरिक्त देना होगा। जिसे बाद में परिषद/सोसाइटी को कम या अधिक करने का अधिकार होगा।
- परिसर हेतु बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में एक मल्टीपरपज हाल/कम्युनिटी सेन्टर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।
- राज्य/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्राविधानित विभिन्न प्रकार के टैक्स यथा-वैट, सर्विस टैक्स, लेवर सेस आदि, रजिस्ट्री व्यय के साथ-साथ एवं भविष्य में उक्त टैक्सों की दरों में परिवर्तन होने की दशा में अन्तर धनराशि, आवंटी द्वारा वहन की जायेगी।

### 3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 स्व वित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

### 4. पंजीकरण के नियम

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क़य करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाट्री ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर आवेदन सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अवध विहार योजना, लखनऊ में आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।
- 4.5 यदि कोई आवेदक पात्र चयनित हो जाता है तो मांग पत्र निर्गमन तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अवध विहार योजना, लखनऊ में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।
- 4.6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटि को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 6 माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटि की जमा धनराशि अन्तिम

किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

- 4.7 यदि किन्ही कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 4.8 इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को फ्लैट्स आवंटित नहीं हो पाते हैं तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

### 5. भुगतान का तरीका

(3 वर्षों में त्रैमासिक किश्तों में भुगतान)

1. भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना है तथा शेष धनराशि 11 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से ही स्वीकार होगा।
2. फ्लैट के निर्माणाधीन अवस्था में लाट्री से आवेदक को फ्लैट का नम्बर आवंटित किया जायेगा।
3. मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किये जाने पर किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से पूर्ण माह का ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
4. आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
5. नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त/कर/शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटि को करना होगा।
6. पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चैक

“उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद” / “UPAVP” के नाम जो लखनऊ में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या/चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।

## 6. आवंटन नियम :

- 6.1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाट्री के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार एक साथ डालकर लाट्री द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6.4 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाट्री पद्धति से नीचे से ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।
- 6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाट्री में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, अवध विहार से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

## 7. आरक्षण :

| क्र० सं० | श्रेणी   | आरक्षण प्रतिशत | अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी  |
|----------|--|----------------|--|
| 1        | अनुसूचित जाति  | 21             | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।   |
| 2        | अनुसूचित जनजाति  | 2              | -----तदैव-----   |
| 3        | अन्य पिछड़ा वर्ग   | 27             | -----तदैव-----   |
| 4        | मा10 विधायक / सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी  | 5              | (अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।<br>(ब) समुचित प्रमाण।  |
| 5        | सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।                                      | 5              | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।   |
| 6        | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी                  | 2              | पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।   |
| 7        | वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित  | 3              | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध कराये।  |
| 8        | समाज के विकलांग व्यक्ति  | 3              | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।   |
| 9        | वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर) | 10             | हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।  |
| 10       | विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक  | नकद के अनुसार  | पंजीकरण जमा की धनराशि तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यू.एस. डालर, पौण्ड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस, फ्रैंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी। आवंटन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन-पत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण पत्र संलग्न करना है। |

**नोट :-** उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाट्री में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

**हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।**

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे।

**भूविस्थापितों के लिये प्राविधान :-**

भूविस्थापितों को शासनादेशों/परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू-विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। इस हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

## 8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 8.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदकों को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदक के खाते से वापस कर दी जायेगी।

## 9. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा

- 9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 9.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को ₹50-50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

## 10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

## 11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 11.3 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 11.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 11.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 11.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित फ्लैट्स के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 11.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 11.8 फ्लैट्स का अन्तिम मूल्य परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। फ्लैट्स के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

## बैंकों की शाखाओं के नाम व पते जहाँ से गोमती इन्क्लेव की

### पंजीकरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित प्राप्त करने

### एवं जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

पंजीकरण 01 फरवरी, 2016  
से प्रारम्भ

पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने हेतु  
अन्तिम तिथि 15 मार्च, 2016

| क्रमांक | बैंक का नाम          | पता  | सम्बन्धित अधिकारी                   | दूरभाष नं.  |
|---------|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1       | एक्सिस बैंक          | 30, एल-ब्लाक नं.-3, प्रथम तल, प्रगति बाजार, कपूरथला अलीगंज, लखनऊ               | श्रीमती शिवानी शुक्ला शाखा प्रबन्धक | मो. : 9839316921<br>फोन : 0522-4114184                          |
| 2.      | आई.सी.आई.सी.आई. बैंक | गुरु तेग बहादुर काम्पलेक्स C.P. 4 UPIL स्कीम, नाका हिण्डोला, ऐशबाग, लखनऊ       | श्री समित विजय शाखा प्रबन्धक        | मो.नं. 8853098438<br>फोन : 0522-6566819                         |
| 3.      | बैंक आफ बड़ौदा       | रायबरेली रोड शाखा, एल्डिको हाइवे प्लाजा, ब्लाक-डी उद्यान-II रायबरेली रोड, लखनऊ | श्री किशोर कपूर मुख्य प्रबंधक       | मो.नं. : 8090004167<br>फोन : 0522-2443202<br>फोन : 0522-6590803 |

## आनलाईन :

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जवाहर भवन, लखनऊ – श्री राम सेवक (मुख्य शाखा प्रबन्धक) मो. : 9565751548

## नोट :

- \* उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क रु. 300/- देकर प्रचार अनुभाग उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर कार्यालय समय में उपलब्ध होंगी।

- \* पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

## आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें।
- 2 आवेदन पत्र में नाम (कमांक 5 एवं 6 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।
- 3 अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधार भाग आवेदन पत्र पर एवं आधार भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-7 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु 'HW' भरें।
- 9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण से 2BHK एवं 3BHK में किसी एक को भरना होगा।
- 10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

## आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

| आरक्षण श्रेणी   | कोड संख्या |
|---|------------|
| अनुसूचित जाति   | 01         |
| अनुसूचित जन जाति  | 02         |
| अन्य पिछड़ा वर्ग  | 03         |
| अनारक्षित   | 04         |
| <b>हारिजेन्टल आरक्षण कोड</b>  |            |
| मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी  | <b>F</b>   |
| सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों                      | <b>G</b>   |
| उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी | <b>B</b>   |
| वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित   | <b>R</b>   |
| समाज के विकलांग व्यक्ति   | <b>D</b>   |
| वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक  | <b>O</b>   |
| विस्थापित   | <b>W</b>   |

## मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

### आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

### आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतो से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

### भूखण्ड / भवन :-

"भवन या मकान" शब्द में : "फ्लैट" भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

### सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

### विदेशी मुद्रा :-

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टलिंग पाँड, यू0एस0, डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रेक और दीनार से है।

### चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

### पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

### सरकारी सेवकों से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

### विस्थापित व्यक्ति :-

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा अधिगृहीत की गयी हों।

### स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

### सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

### अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

### नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/विकलांग व्यक्ति से है।

### परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

### परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

## आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

| शहर                         | कोड | आरक्षण श्रेणी  | कोड |
|-----------------------------|-----|--|-----|
| लखनऊ                        | 077 | अनुसूचित जाति  | 01  |
|                             |     | अनुसूचित जन जाति   | 02  |
|                             |     | अन्य पिछड़ा वर्ग   | 03  |
|                             |     | अनारक्षित  | 04  |
| योजना                       | कोड | हारिजेन्टल आरक्षण कोड  |     |
| अवध विहार योजना             | 000 | विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी   | F   |
| सम्पत्ति श्रेणी             | कोड | सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।                      | G   |
| 1 BHK (Type-A)              | 1A  | उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी। | B   |
| 1 BHK (Type-B)              | 1B  | वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित  | R   |
| 2 BHK (Type-A)              | 2A  | समाज के विकलांग व्यक्ति  | D   |
| लिंग                        | कोड | वृद्धजन  | O   |
| स्त्री                      | F   | विस्थापित  | W   |
| पुरुष                       | M   |  |     |
| संयुक्त आवेदन की स्थिति में | HW  |  |     |
| भुगतान                      | कोड |  |     |
| नगद                         | 01  |  |     |
| किश्त                       | 02  |  |     |

**अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत "समाजवादी आवास योजना-2015" के अधीन "गोमती इन्क्लेव" में प्रस्तावित फ्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश**

उक्त योजना की सम्पत्तियों (फ्लैट्स) के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Steps) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा :-

**प्रथम चरण (Step-1) :**

**आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)**

- आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट **www.upavp.com** पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flats पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Gomti Enclave Flats, Avadh Vihar Yojna, Sultanpur Road, Lucknow पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, इच्छित फ्लैट्स आदि विवरण आन-लाइन फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी / पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण(Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-

- ✓ Visit website [www.upavp.com](http://www.upavp.com) & click on link "Online Registration of Flats"
- ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
- ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
- ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'
- ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS\*' will be available.

**योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु परिषद के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।**

**इं. सुनील चौधरी**  
अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त  
मो. : 8795810049

**इं. के.आर. लोहमी**  
अधिशाली अभियन्ता, नि.ख.-15  
मो. : 8795810079

**योजना में पंजीकरण आवंटन एवं धनराशि वापसी से सम्बन्धित जानकारी के लिए परिषद के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं**

**श्री अनिल कुमार यादव**  
संयुक्त आवास आयुक्त  
0522-2235839

**डॉ. अनिल कुमार**  
उप आवास आयुक्त  
मो. : 8795810229

**श्री के.एन. त्रिपाठी**  
कनिष्ठ लेखाधिकारी  
मो. : 8795811186

**श्री महेन्द्र नाथ शुक्ल**  
लेखाकार  
मो. : 8795811163

✓ Applicant can choose any one option for making payment.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID प्रदान किया जायेगा।

(नोट-डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में जोकि लखनऊ शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।)

\*MOPS: Multi Option Payment System

## द्वितीय चरण (Step-2) :

### अंतिम रूप से आन-लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार(Step-1) पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घण्टे/पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) के लिंक Online Registration For Flats पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक 'Submit Application Details' पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एवं Journal No./Reference No./Transaction ID भरकर अपना आन-लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनाएँ दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन-लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए 'Submit' करना होगा।
- आन-लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आईडी, प्रमाण, जाति प्रमाणपत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

उप आवास आयुक्त

सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय अवध विहार योजना,

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,

आफिस कॉम्प्लेक्स-प्रथम तल, वृन्दावन योजना, सेक्टर-8

रायबरेली रोड, लखनऊ (उ० प्र०)-226029"

## विशेष आकर्षण

- आकर्षक लैंड स्केप, पार्क एवं हरित क्षेत्र वृद्ध आवासीय परिसर।
- भूकम्परोधी निर्माण।
- विश्व प्रसिद्ध पी.जी.आई. के सम्मुख, मात्र 4.50 किमी. की दूरी पर।
- 45 मीटर एवं 18 मीटर चौड़ी सड़कों से घिरा हुआ आवासीय परिसर।
- सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के दृष्टिगत बाउण्ड्रीवाल का प्राविधान।
- सामान्य सेवाओं हेतु पावर बैकअप का प्राविधान।
- आवासीय परिसर में लिफ्ट, फायर सेफ्टी, आकर्षक कम्युनिटी सेंटर एवं व्यावसायिक सुविधाओं का प्राविधान।

## KEY PLAN







ड.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय